

न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल
(पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

व्य.वाद. क्रमांक:- 36ए/16

संस्थापन दिनांक:-16.03.2015

फाईलिंग नं. 233504000192015

कलावती पति दयाराम उम्र 55 वर्ष
 निवासी कोढरखापा, तहसील आमला,
 जिला बैतूल (म.प्र.)

..... वादी

वि रु द्ध

दयाराम पिता तान्या उर्फ तिन्या, उम्र 60 वर्ष
 निवासी कोढरखापा, तहसील आमला,
 जिला बैतूल (म.प्र.)

..... प्रतिवादी

—: (निर्णय) :—

(आज दिनांक 29.11.2016 को घोषित)

1 वादी द्वारा यह दावा खसरा नंबर 13/3 रकबा 0.446 हे. खसरा 13/5 रकबा 0.061 हे., खसरा नंबर 105/5 रकबा 0.405 हे., खसरा नंबर 276/5 रकबा 1.098 हे., स्थित ग्राम कोढरखापा तहसील आमला जिला बैतूल को प्रतिवादी दयाराम द्वारा विक्रय किए जाने से निषेधित किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2 वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में सार यह है कि वादी कलावती का पति प्रतिवादी दयाराम है। प्रतिवादी दयाराम के द्वारा वादी को धोखा देकर अन्य महिला को रखल रख लिया गया है। वादी के द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध भरण पोषण राशि की प्राप्ति हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला के समक्ष परिवार प्रस्तुत किया गया था, जिसमें न्यायालय के द्वारा डेढ़ हजार रुपए भरण पोषण राशि प्रतिवादी द्वारा वादी को दिए जाने का निर्देश दिया गया था। परंतु प्रतिवादी के द्वारा भरण पोषण राशि की नियमित रूप से अदायगी नहीं की गई। विवादित भूमि प्रतिवादी के नाम पर है यदि वह इन भूमियों को बेच देता है तो वादी को भरण पोषण राशि की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अतः वादी द्वारा प्रतिवादी से भरण पोषण राशि की संपूर्ण अदायगी किए जाने तक विवादित भूमि को प्रतिवादी द्वारा विक्रय किए जाने से निषेधित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है।

3 प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा नोटिस की तामिली उपरांत भी अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

4 प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1. क्या वादी विवादित भूमि के संबंध में इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी है कि प्रतिवादी विवादित भूमि का भरण पोषण राशि का अदायगी किए बिना विक्रय ना करे ?
2. सहायता एवं व्यय ?

विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष

वाद प्रश्न क्र. 01 का निराकरण

5 वादी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में यह कथन किया गया है कि वादी प्रतिवादी की पत्नी है। प्रतिवादी के द्वारा वादी का त्याग कर दिया गया है। वादी के पक्ष में न्यायालय से 1,500 रु. भरण पोषण राशि की अदायगी प्रतिवादी द्वारा किए जाने का आदेश किया गया है, परंतु इसके बाद भी प्रतिवादी भरण पोषण की व्यवस्था नहीं करता है। यदि विवादित भूमि प्रतिवादी के द्वारा विक्रय कर दी जाती है तो उसकी भरण पोषण की व्यवस्था नहीं हो पाएगी।

6 वादी के द्वारा प्रकरण में विवादित भूमि के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, परंतु उन्हें प्रदर्शित नहीं कराया गया है। अतः निर्णय के दौरान दस्तावेज लोक दस्तावेज होने से न्यायालय के द्वारा प्रदर्श अंकित कर साक्ष्य में पढ़ा गया। वादी के द्वारा विवादित भूमि के संबंध में किशतबंदी खतौनी वर्ष 2014-15 (प्रदर्श प्री-1) खसरा वर्ष 2014-15 (प्रदर्श प्री-2) नक्शा (प्रदर्श प्री-4) एवं (प्रदर्श प्री-5) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अवलोकन से विवादित भूमि प्रतिवादी दयाराम वल्द तामिया के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रही है। प्रथम दृष्टया प्रतिवादी विवादित भूमि का भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी होना प्रकट हो रहा है। यद्यपि वादी के द्वारा विवादित भूमि प्रतिवादी के पैतृक होने का अभिवचन किया गया है, परंतु ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है, जिससे यह दर्शित हो कि प्रतिवादी को उक्त भूमि उसके पिता, दादा से प्राप्त हुई हो। अतः प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में विवादित भूमि प्रतिवादी की स्वअर्जित होकर उसके स्वत्व की होना प्रकट हो रही है।

7 वादी के द्वारा उसके पक्ष में प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भरण पोषण प्रतिवादी द्वारा उसे अदा किए जाने के संबंध में कोई आदेश/दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है, और ना ही वादी के द्वारा ऐसा अभिवचन किया गया है कि विवादित भूमि प्रतिवादी के स्वत्व की होने के आधार पर उस संपदा से भरण पोषण अदायगी का आदेश किया गया है। विवादित संपत्ति का प्रतिवादी एकल स्वत्वाधिकारी एवं आधिपत्यधारी होना प्रकट हो रहा है। किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वअर्जित संपदा का इच्छानुसार व्यय करने से नहीं रोका जा सकता।

8 चूंकि वादी के द्वारा ना ऐसी साक्ष्य है ना ऐसा अभिवचन है कि विवादित संपत्ति से प्रतिवादी द्वारा उसे भरण पोषण अदा किए जाने का आदेश किया

गया है। तब ऐसी स्थिति में वादी इस आशय की स्थाई निषेधदा जारी कराने की अधिकारी नहीं है कि प्रतिवादी विवादित भूमि का भरण पोषण राशि की अदायगी किए बिना विक्रय ना करे।

वाद प्रश्न क्र. 02 का निराकरण

9 उपर्युक्त विवेचना अनुसार वादी विवादित भूमि खसरा नंबर 13/3 रकबा 0.446 हे. खसरा 13/5 रकबा 0.061 हे., खसरा नंबर 105/5 रकबा 0.405 हे., खसरा नंबर 276/5 रकबा 1.098 हे., स्थित ग्राम कोढरखापा तहसील आमला जिला बैतूल के संबंध में यह प्रमाणित नहीं कर पाई है कि वह इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी है कि प्रतिवादी विवादित भूमि का उसे भरण पोषण राशि की अदायगी किए बिना विक्रय ना करे। फलतः वादी का दावा निरस्त किया जाता है तथा निम्न आशय का आदेश पारित किया जाता है :-

1. वादी का दावा निरस्त किया जाता है।
2. वादी अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेगा।
3. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो, खर्च में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञापित तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल